921/911

राष्ट्रीय सहारा
पृष्ठ (1+2)
30-07-2014

जीएम फसलें नामंजूर

नई दिल्ली (भाषा)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े दो संगठनों ने जीएम फसलों के परीक्षण पर पाबंदी लगाने की मांग की है।

- संघ से जुड़े दो संगठनों ने जीएम फसलों के परीक्षण पर बैन की मांग की
- सरकार ने कहा, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ

स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर धान, बैंगन और कपास की कुछ जीएम प्रजातियों के खेत में परीक्षण के मुद्दे पर अपनी चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने दावा किया कि मंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि जीएम फसलों की खेती के परीक्षण के फैसले पर रोक लगा दी गई है। (शेष पेज 2)

जीएम फसलें नामंजूर...

स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह समन्वयक अश्विनी महाजन ने कहा कि मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि सरकार के द्वारा जीएम फसलों के खेत परीक्षण के बारे में फैसले पर रोक लगा दी गई है। संपर्क करने पर जावड़ेकर ने इस बैठक के बारे में पुष्टि करते हुए बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने परीक्षण का निर्णय लिया है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर आगे नहीं बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विवादास्पद मुद्दे पर कोई फैसला नहीं किया है। सरकार जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेगी। जीईएसी ने इस माह के आरंभ में धान, बैंगन, मटर, सरसों और कपास की सुरक्षित घेरे में खेती के परीक्षण के 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी।

प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को याद दिलाया कि कृषि मामलों की संसदीय स्थाई समिति ने 9 अगस्त 2013 को जीएम खाद्य फसल-संभावना और प्रभाव पर अपनी रिपोर्ट में जीएम फसलों की खेती के किसी भी प्रकार के परीक्षण पर रोक की सिफारिश की थी। इन संगठनों ने मंत्री से कहा कि मानव स्वास्थ्य और मिट्टी पर होने वाले दीर्घकालिक संभावित प्रभावों का बगैर उपयुक्त वैज्ञानिक आकलन किए जीएम फसलों को अनुमति देना परामर्शयोग्य नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है जो साबित करे कि जीएम प्रौद्योगिकी उत्पादकता को बढ़ाता है। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से कहा कि यह राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण मुद्दा है।

सुनीता गुप्ता
30/7/14
प्रभारी पत्रिका एवं समाचार पत्र अनुभाग

प्रतिलिपि:-
1. निदेशक कार्यालय
2. संयुक्त निदेशक (प्रसार)
3. अधिष्ठाता / संयुक्त निदेशक (शिक्षा)
4. प्रभारी यू. एस. आई
5. प्रभारी कैटैट
6. प्रभारी पी-पी-आई